कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 146 / 16 तिथि–20 / 12 / 2016

श्री रामपुनीत पासवान, मुखिया, मधेपुरा, प्रखंड–कटरा बनाम पंचायत रोजगार सेवक।

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री रामपुनीत पासवान, मुखिया, ग्राम पंचायत राज–मधेपुरा, प्रखंड–कटरा द्वारा दिनांक–24.09.2016 को एक परिवाद दायर किया गया जिसमें उन्होंने पंचातय रोजगार सेवक पर समय नहीं देने और निर्देशों के अनुकूल काम नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी शिकायत किया है कि वे यत्र–तत्र अपना समय व्यतीत करते है और उन्हें बिना बताए कोई भी काम विपक्षी के साथ मिलकर करा लेते हैं। जब उनके (मुखिया) द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाता है तो कहा जाता है कि मजदूर का पैसा कोई नहीं रोक सकता है तथा इसे जिले से निकलवा लिया जाएगा। इन्होंने (मुखिया) अपने अनभिज्ञयता में एक योजना 'अम्मा और सोहिजन में पोखर खुदाई का कार्य' 2–4 महीने के बीच होने का भी आरोप लगाया है

इस संबंध में पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–मधेपुरा, प्रखंड–कटरा को नोटिस जारी की गई। इनसे वित्तीय वर्ष–2016–17 मनरेगा अंतर्गत किए गए कार्य तथा कराए जा रहे कार्य से संबंधित पत्रावली, रोजगार रजिस्टर (अनुबंध–19), कार्य रजिस्टर (अनुबंध–20) तथा ग्राम सभा में स्वीकृत योजनाओं से संबंधित अभिलेख की मांग की गयी। पुनः दो बार उन्हें स्मारित कर संबंधित अभिलेख की मांग की गयी परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में न तो कोई प्रतिवेदन समर्पित किया गया और न ही कभी निर्धारित सुनवाई की तिथि पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित ही हुए।

इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, कटरा द्वारा अपने पत्रांक–234 दिनांक–09.12.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री जितेन्द्र कुमार, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–मधेपुरा, प्रखंड–कटरा को संबंधित अभिलेख के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का सूचना दिया गया था। इसके बावजूद श्री कुमार द्वारा लापरवाही बरती गयी और पत्र भी हस्तगत नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि श्री कुमार (पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–मधेपुरा, प्रखंड–कटरा) का पिछले माह से अनुपस्थित होना वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं कार्य के प्रति अरूचि को प्रदर्शित करता है। इस संबंध में दिनांक–13.12.2016 को परिवादी श्री रामपुनीत पासवान, मुखिया, ग्राम पंचायत राज–मधेपुरा, प्रखंड–कटरा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पुनः अपने शिकायत की पुनरावृति की है तथा अंकित किया गया है कि पंचायत रोजगार सेवक के असहयोगात्मक रवैये के कारण पंचायत का कोई विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने पंचायत रोजगार सेवक के तबादले का भी अनुरोध किया है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या श्री जितेन्द्र कुमार, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–मधेपुरा, प्रखंड–कटरा द्वारा 'अम्मा और सोहिजन में पोखर खुदाई का कार्य' बिना मुखिया के आदेश के किया गया है तथा क्या वे मनरेगा योजना के कार्यो में रूचि नहीं लेते है तथा कार्यक्रम पदाधिकारी, कटरा और मुखिया के नियमानुकूल निर्देशों का अनुपालन न करते हुए अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता का प्रदर्शन करते है? इससे मनरेगा कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

–: निष्कर्ष :–

ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि स्वयं इस कार्यालय द्वारा तथा कार्यक्रम पदाधिकारी, कटरा द्वारा बार–बार लिखित सूचना दिए जाने के बावजूद भी पंचायत रोजगार सेवक ने मांगी गई उपरोक्त सूचनाएँ एवं अभिलेख नहीं दी और न ही किसी तरह का जवाब ही दिया। इससे यह स्पष्ट है कि यह एक अनुशासनहीन एवं मनरेगा के कार्य में रूचि न लेनेवाले कर्मी हैं। इन्होंने कार्यक्रम पदाधिकारी, कटरा तथा मुखिया एवं स्वयं इस कार्यालय के आदेशों का गंभीर उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में इनके कार्य–व्यवहार से मनरेगा योजना का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है तथा योजना संबंधी जानकारी न देने से यह स्पष्ट है कि उस योजना में इनके द्वारा गडबड़ियाँ की गई है जिसे छिपाने के लिए इन्होंने बार–बार सूचित किए जाने के बावजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में मेरे विचार से इन्हें कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है।

अतः इन्हें तत्काल पदस्थापित पंचायत (मधेपुरा) से हटाकर किसी दूरस्थ प्रखंड के पंचायत में पदस्थापित किया जाए तथा इनके चार माह का वेतन कटौती कर ली जाए। इन्हें लिखित चेतावनी दी जाए कि इनके द्वारा दुबारा आदेश के उल्लंघन करने पर इनका अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। स्थानांतरित पंचायत के कार्यक्रम पदाधिकारी इनके पदस्थापन के छः माह के कार्य अवधि का पर्यवेक्षण कर मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

—: आदेश :—

01. श्री जितेन्द्र कुमार, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचातय राज–मधेपुरा, प्रखंड–कटरा को किसी दूरस्थ प्रखंड के पंचायत में स्थानांतरित की जाए।
02. श्री जितेन्द्र कुमार, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचातय राज–मधेपुरा, प्रखंड--कटरा के चार माह का वेतन कटौती कर ली जाए।
03. श्री कुमार द्वारा दुबारा आदेश के उल्लंघन किए जाने पर इनके अनुबंध को रद्द कर दिए जाने की चेतावनी दी जाए।
04. श्री कुमार के स्थानांतनरण के पश्चात् उस प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी इनके छः माह के कार्य अवधि का पर्यवेक्षण कर मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

ह0/

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 90 / मुज0,दिनांक– 20/12/2016

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।
प्रतिलिपि :-- संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/16

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।